2

समेकित बाल संरक्षण योजना
(आई सी पी एस)

बाल संरक्षण क्या है?

"बच्चों मे उनके अधिकारों की सुनिश्चितता का सुरक्षात्मक वातावरण तैयार करना ही बाल संरक्षण है.

आई.सी.पी.एस. क्या है?

समेकित बाल सरंक्षण योजना **(ICPS)** बच्चों के प्रति एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। यह बच्चों के लिए''सर्वोत्तम हित'' के सिद्धान्त पर आधारित है। आई सी पी एस 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों हेतु संचालित शासकीय योजनाओं को एक छत के नीचे लाने वाली शासकीय योजना है जो –

- कानून के साथ विवाद मे पड़े हो
- देखरेख और संरक्षण की जरूरत हो
- कानून के साथ सम्पर्क मे आ गए हो

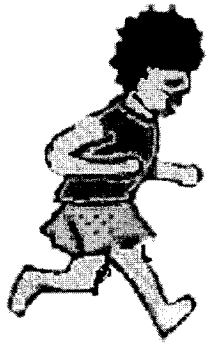

साथ ही,

''गली के बच्चों'' हेतु समेकित कार्यक्रम

चाइल्ड लाईन – विपत्तिग्रस्त बच्चों हेतु 24 घण्टे की हेल्प लाइन सुविधा एवं

देश के अन्दर दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु गृहो की सहायता के लिए शिशु गृह योजना

आई.सी.पी.एस. का कार्यान्वयन सरकार तथा नागरिक समितियों की सहभागिता से किया जाना है।

बाल सुरक्षा सेवाएँ

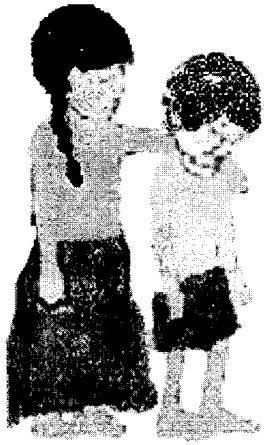

आपातकाल पहुंच सेवा
1098

पश्चातवर्ती
देखरेख कार्यक्रम

पालक देखभाल

प्रवर्तकता

दत्तक
ग्रहण

पालना शिशु स्वागत केंद्र

विशेष किशोर पुलिस इकाई

काउंसिलिंग और सिफ़ारिशें

24 घंटे खुला आश्रय
शहरी और अर्द्ध शहरी
क्षेत्रों में

बालगृह/ विशेष गृह

पर्यवेक्षण गृह

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
विशेष सेवाएँ

आई सी पी एस क्यों ?

महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन ''भारत मे बाल दुर्व्यवहार पर अध्ययन
2007'' अनुसार भारत मे 40 प्रतिशत बच्चे सुभेद्य है अथवा कठिन परिस्थितियो मे है।

बच्चों के विरूद्ध आघात/अपराध की सर्वाधिक घटनाएँ दर्ज होने से मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान है।

63.4% बच्चे शारीरिक दुर्व्यवहार से प्रतिवेदित हैं।
48.7% बच्चे दैहिक दण्ड सहते हैं।
9.87% बच्चे यौन दुर्व्यवहार से प्रतिवेदित हैं।
60.2% बच्चे भावनात्मक दुर्व्यवहार सहते हैं।
79% बालिकाएँ कई प्रकार की उपेक्षाएँ अनुभव करती है।

आईसीपीएस का उदेश्य है.....

बच्चों के आसपास सुरक्षात्मक वातावरण निर्मित करना।

बच्चों मे हानि की सुभेद्यता को कम करना।

सुरक्षा तंत्र बाहर गिरे हुए बच्चे की सुरक्षा करना।

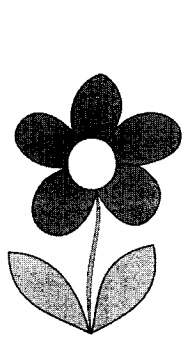

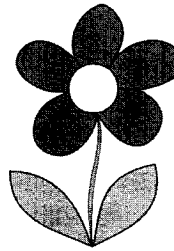

आईसीपीएस मार्गदर्शी सिद्धान्त

बच्चों के सर्वोत्तम हित में।

परिवार बच्चे की देखरेख की प्राथमिक इकाई

बच्चों को संस्थागत (सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह) करना अंतिम उपाय।

भेदभाव रहित एवं कलंक रहित

बाल हित के सभी मामलों मे बच्चों के दृष्टिकोण/मत पर विचार किया जावेगा।

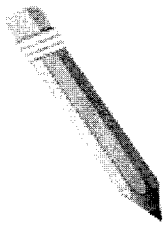

सुरक्षात्मक वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा?

बाल सुरक्षा मुद्दे की जागरूकता से।

बच्चों के लिए हेल्पलाइन, अल्पकालिक आवास गृह सहित आवश्यक सुविधाओं की स्थापना, गृह आधारित देखरेख हेतु परिवारों की पहचान, प्रत्येक स्तर पर बाल सुलभ पुलिस सेवा।

बच्चों के सेवा प्रदाय मे आवश्यक मापदण्डों का संयोजन।

घर, समुदाय, विद्यालय, संस्थान आदि सभी स्तरों पर बाल सुरक्षा के मामले मे प्रत्येक भागीदार की जवाबदेही तय करना।

राज्य आयोग की बाल सुरक्षा अधिकारों के प्रति अग्रसक्रिय भूमिका।

सेवा प्रदाता सेवाओं तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर संरचनाओं की स्थापना।

राष्ट्रीय स्तर पर आईसीपीएस कार्यान्वयन संरचना

केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई

बाल सुरक्षा प्रभाग निपसिड

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन – मुख्यालय

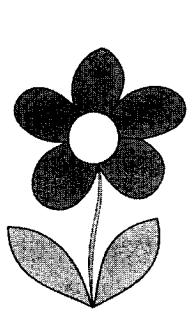

राज्य स्तरीय

राज्य परियोजना सहायता इकाई (SPSU)

राज्य बाल संरक्षण समिति(**society**) (SCPS)

राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)

राज्य दत्तक–ग्रहण सलाहकार समिति(SAAC)

राज्य बाल संरक्षण समिति(**commitee**) (SCPC)

राज्य परियोजना सहायता इकाई के कार्य हैं.....

राज्य मे आईसीपीएस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने मे केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई की मदद करना।

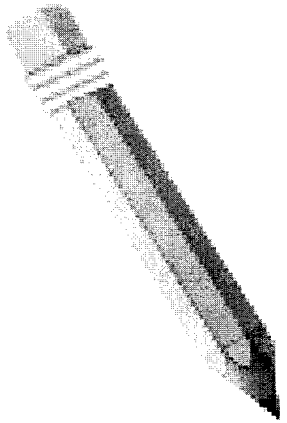

राज्य मे आईसीपीएस योजना के कार्यान्वयन की कार्ययोजना विकसित करना।

आईसीपीएस योजना के अन्तर्गत वांक्षित संरचनाओं के गठन मे सहायता करना।

राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्य मे है.....

यह योजना के कार्यान्वयन की मूलभूत इकाई है।

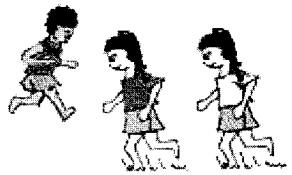

राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अन्य बाल सुरक्षा संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों हेतु समिति उत्तरदायी होगी।

राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण **(SARA)**
राज्य दत्तक–ग्रहण सलाहकार समिति **(SAAC)**
राज्य बाल संरक्षण समिति **(SCPC)**:

कार्य एवं उत्तरदायित्वों मे शामिल है.....

(सारा): कारा को सहयोग करना, राज्य दत्तक सलाहकार समिति को सहायता उपलब्ध कराना।

(साक): राज्य स्तर पर परिवार आधारित गैर संस्थागत अंतःदेशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक–ग्रहण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित, क्रियान्वित, पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना।

(एससीपीसी): राज्य के विशिष्ट सूचकों के आधार पर आईसीपीएस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

जिला स्तर पर....

(ए.सी.ए. दत्तक समन्वय अभिकरण) अंतः देशीय दत्तक–ग्रहण को प्रोत्साहित करना।

(एस.एफ.सी.ए.सी. प्रवर्तकता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति)– प्रवर्तकता (मात्र बचाव उपायों हेतु) एवं पालन पोषण देखरेख निधि की स्वीकृति एवं निगरानी करना।

(डी.सी.पी.एस. जिला बाल संरक्षण समिति) जिला स्तर पर समस्त बाल अधिकारो एवं बाल सुरक्षा गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं समन्वय करना।

(डी.सी.पी.सी. जिला बाल संरक्षण समिति) जिला बाल संरक्षण समिति की गतिविधियों के साथ–साथ आईसीपीएस योजना के समग्र कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर

विकास खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति:-

विकास खण्ड स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।.

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति:-

ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करेगी एवं इसमें दो बाल प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की भूमिका

बाल सुरक्षा के मुद्दे हेतु नोडल संगठन एवं राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र।

राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रशिक्षण गतिविधियों/ दक्षता संवर्धन तथा कार्यक्रमों के शोध, अभिलेखीकरण एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहन।

क्षेत्रीय स्तर पर गतिविधियों हेतु चार क्षेत्रीय केन्द्र--बंगलोर, गुवाहाटी, इन्दौर एवं लखनऊ में बाल सुरक्षा प्रभागों की स्थापना।

बाल अधिकारों की सुरक्षा में राज्य आयोग की भूमिका–

- राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा करना।
- प्रत्येक स्तर पर, स्वयं संज्ञान सहित, बाल अधिकारों के हनन की जांच करना। जैसे–बाल गृहों में स्थापित मापदंडों के संयोजन के विनिश्चयन हेतु निरीक्षण करना।
- बाल श्रम, शैक्षणिक अधिकार, यौन दुर्व्यवहार, दैहिक दंड, बाल न्याय एवं बाल दुर्व्यवहार के मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त करना एवं कार्यवाही करना।

आई.सी.पी.एस. के संसाधन

आई.सी.पी.एस. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक साझी योजना है।

निधियन के तरीके–

- स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी सहित योजना के सभी घटकों के लिए 90:10 का निधियन।
- अन्य संरचनात्मक घटकों जैसे–संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह हेतु 75:25 का निधियन।